

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, चन्द्रपुर शारवा.

185

बनाम

मैथलाल सिंह पिता - मौहन सिंह

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर मु० सं०-	आदेश पर दी गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
5.7.08	अधियाचना पदाधिकारी सह शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक चन्द्रपुर के शाखा प्रबंधक ने श्री मैथलाल सिंह पिता - मौहन सिंह साकिन- किंकिरगुरु धाना- चन्द्रपुर जिला - बौधगढ़ के विराम मो०- 18,280-70 रुपये का गिराम पत्र का मुकदमा दायर किया है । . अधियाचना परिपत्र परिपूर्ण है, तथा मो०- 2104/- रु० का कोर्ट की स्टाम्प संलग्न है । लोक मोग वसुली अधिनियम के तहत धारा 7 का सूचना निर्गत करें , अभिलेख तामिला प्रतिवेदन को संलग्न कर दिनांक- 5/8/08 को उपस्थापित करें ।	3

निर्माण पत्र पदाधिकारी
चन्द्रपुर

05/8/2008

10/07/25

अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण
देनदार डाय वकाफ राशि का
करने की सुचना नहीं दी जा
रहा है। देनदार को पुनः धारा
02 का नोटिस भिजान करें।

अभिलेख दिनांक 31/01/25 को
रावे।

नीलाय पंजाब
म-5311

22/01/25

अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण

धारा 02 का नोटिस का तारिखा
प्रतिवर्तन प्राप्त है। नीलाय पंजाब
काओं के पंजी X का अलोकन से
स्पष्ट होता है कि बैंक द्वारा देनदार
मेमबर्लाय फंड के वसूल राशि की
वोला को बन्द कर दिया गया है।

अतः बैंक के कार्रवाई द्वारा पंजी-X
में अंकिन प्रतिवर्तन के आधार पर इल
(वाद 0) कार्डवाई समाप्त की जा रही है।
पंजी-X एवं X का हिसाब से दस्तावेज

नीलाय पंजाब
म-5311